

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 05/2022

रजिस्ट्रेशन नं. :2022/9

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा (राज)

बनाम

1. श्रीमती रेखा पत्नि मुलाराम कुमावत
मैसर्स- दादाजी गृह उद्योग, आनन्द
विहार, आई.टी.आई के सामने,
घण्टाला रोड, बांसवाड़ा
2. श्री मुलाराम पुत्र श्री राम प्रताप
कुमावत मैसर्स- दादाजी गृह उद्योग,
आनन्द विहार, आई.टी.आई के
सामने, घण्टाला रोड, बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 22.03.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 25-02-2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 03-11-2021 को 10.15 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जांच हेतु मैसर्स- दादाजी गृह उद्योग, आनन्द विहार, आई.टी.आई के सामने, घण्टाला रोड, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्रीमती रेखा पत्नि मुलाराम कुमावत उपस्थित थी। निरीक्षण करने पर बेसन नमकीन पाम ऑईल में बनी लगभग 8-10 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए आम जनता को बिक्री हेतु रखी बेसन नमकीन पाम ऑईल में बनी जो दो किलोग्राम वास्ते नमुना जांच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 240 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जांच हेतु खरीदशुदा बेसन नमकीन पाम ऑईल में बनी को चार सुखे व साफ खाली जार में बराबर-बराबर मात्रा में भरकर फार्मेलीन की 40-40 बूंद प्रत्येक में डालकर जांच हेतु मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द कर नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना जांच हेतु फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/286-287 दिनांक 29.11.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 311 दिनांक 24.11.2021 अनुसार विक्रेता से वारते नमूना जांच हेतु क्रय किया बेसन नमकीन पाम ऑईल में बनी का नमूना अमानक Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा बेसन नमकीन पाम ऑईल में बनी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 25-02-2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 22.03.2022 को अभियुक्त श्रीमती रेखा पत्नि मुलाराम कुमावत, श्री मुलाराम पुत्र श्री राम प्रताप कुमावत ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगणों को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/286-287 दिनांक 29.11.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 311 दिनांक 24.11.2021 अनुसार विक्रेता से वारते नमूना जांच हेतु क्रय किया बेसन नमकीन पाम ऑईल में बनी का नमूना Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत प्रोसेच्युटर्ड किया बेसन नमकीन पाम ऑईल में बना हुआ को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा




न्याय निर्णय अधिकारी
(अति.जिला फूड & ड्रग्स इंस्पेक्टर)
भुसवाडा

एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्रीमती रेखा पत्नि मुलाराम कुमावत मैसर्स- दादाजी गृह उद्योग, आनन्द विहार, आई.टी.आई के सामने, घण्टाला रोड, बाँसवाडा को रूपये 20,000/- (अक्षरे रू बीस हजार मात्र), श्री मुलाराम पुत्र श्री राम प्रताप कुमावत मैसर्स- दादाजी गृह उद्योग, आनन्द विहार, आई.टी.आई के सामने, घण्टाला रोड, बाँसवाडा को रूपये 20,000/- (अक्षरे रू बीस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाँसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।




(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णय अधिकारी
(अति. जिला कलेक्टर)
(बाँसवाडा (रोज.)
बाँसवाडा